



सर्वसम्पन्न मंत्रालय, उत्तर प्रदेश
आचार्यकक्षा एवं शोधकक्षा, उत्तर प्रदेश

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

बंदाख 15, 1922 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सवह-वि०-1-1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

द्विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा गरित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इच्छावन्तों के दृष्टि में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(95)

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 34
सन् 1972 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (अ) में शब्द 'जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड; टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी' के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।”

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।”

धारा 3 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों” रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों” रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक “यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों” रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द “जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों” के स्थान पर शब्द “गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं” और शब्द “उनके प्रशासन पर अवीक्षण रखना” के स्थान पर शब्द “गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अवीक्षण रखना” रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द “नामल स्कूलों” के स्थान पर शब्द “जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान” रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द “जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति” के स्थान पर शब्द “गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं” रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द “और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नामल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी जगहों पर जिन्हें वह उचित ममता, स्वीकार करना” निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हों।"

(च) खण्ड (ब-2) निकाल दिया जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अमिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (घ) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी;

अर्थात् :—

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा वेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण के दिनांक को और से,—

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन वेवारीत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के समी भवन, सम्पत्तियां और परिस्मत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तर्गत और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य क्रिस्त में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तर्गत हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेंसधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निवृत्तों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेंसधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तर्गत या उसमें निहित किसी भवन; सम्पत्ति या शर्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तर्गत करने की शक्ति नहीं होगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के जिला पंचायत के कृत्य अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, प्रत्येक जिला पंचायत; परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

धारा 8 का संशोधन

नई धारा 9क का बढ़ाया जाना

धारा 10, 10-क और 11 का प्रदिले स्थापन

के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के त्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

10-क-यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के कृत्य नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के सम्पादन और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त गांव शिक्षा समिति पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम और उसके कृत्य पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(198)

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किंहीं अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय; लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।”

8—मूल अधिनियम की धारा 12—क निकाल दी जायगी।

धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी;
अर्थात् :—

नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

“13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश अध्यापक प्रभाव नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।”

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द “शक्ति” के स्थान पर शब्द “शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय” रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक “31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्” रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसित और अपवाद

(2) ऐसे निरसित के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रदत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 4
एम् 2000
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 18
एम् 1999
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 16
एम् 1999

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

(99)

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT)
ACT, 2000

(U. P. ACT No. 18 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

for further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (e) for the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be substituted;

(ii) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (b) for the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhinyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhinyam, 1961" shall be substituted;

(b) in clause (c) for the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhinyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be substituted;

(c) in clause (d) for the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be substituted.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (c) for the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be substituted;

(b) in clause (d) for the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be substituted;

(c) in clause (e) for the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be substituted;

(d) In clause (f) the words "and in particular, to accept gift of any building or equipment of any basic school or normal school on such conditions as it thinks fit" shall be omitted;

(e) for clause (g-1) the following clause shall be substituted, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistent with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(f) clause (g-2) shall be omitted.

5. In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be omitted,

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (a) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

(ii) in clause (d) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

6. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

Control of
teacher and
properties of
basic schools

(a) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated;

(b) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(c) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(d) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Amendment of
section 5

Insertion of
new section 9-A

(101)

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

“10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshetra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district;

(b) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education;

(c) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(b) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(c) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(d) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(e) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(a) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(b) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(c) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely:—

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(b) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government."

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of
section 12-A
Inserion of
new section 13-A

9. After section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"13-A. Notwithstanding anything contained in the United Pro-
Over riding effect vinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of
section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) for the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Amendment of
section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

Repeal and
savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

U. P.
Ordinance
no. 4 of
2000
U. P.
Ordinance
no. 13 of
1999
U. P.
Ordinance
no. 16 of
1999